मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6—7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :— स्वाति गुप्ताआर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :—649/2021

1. हरबंस सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— — वादी

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री दिनांक :— 22:07:2024

वादी की ओर से श्री विकास शर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री कुन्दनलाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.07.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि रघुवीरसिंह के नाम से चक नम्बर 6 एस.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 279/222 में कुल 0.229 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीरसिंह के 1/2 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 6 एस.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 279/222 में से प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीरसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेंगे। डिक्री आज दिनांक 22:07:2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.03 14:01:08 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी